



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अक्टूबर 16, 2003/आश्विन 24, 1925

No. 164]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2003/ASVINA 24, 1925

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2003

संख्या भा.आ.प.-26(3)/2003-आयु./20958.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा "स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियम, 1997" के संशोधनार्थ निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (क) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) के विनियम 'स्नातक शिक्षा (संशोधन) विनियम, 2003' कहे जायेंगे।
(ख) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. विनियम 12 में—
 - (i) उपनियम (1) के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् "(1) उपस्थिति : किसी विषय की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है इसमें गैर-व्यावसायिक अध्यापन अर्थात् संगोष्ठियों, सामूहिक परिचर्चाओं, अनुशिक्षण निर्देशन, अस्पताली तैनातियों (तृतीयक, माध्यमिक प्राथमिक) तथा बिस्तर योग्य रोग-लक्षण शिक्षण इत्यादि में उपस्थिति भी सम्मिलित है"।
 - (ii) उपनियम (2) के खण्ड (5) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् "(v) विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिये विद्यार्थी को विषय विशेष में आंतरिक मूल्यांकन के लिए निश्चित अंकों में से न्यूनतम 35% अंक अवश्य अर्जित करने होंगे"।

ले. कर्नल (रिटायर्ड) डॉ. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/IV/असाधारण/100/03]

पाद टिप्पणी :—मूल विनियम अर्थात्, "स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा पर विनियम, 1997" भारत के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4 में 17 मई, 1997 को प्रकाशित हुए थे और भा.आ.प. की दिनांक 10 मई, 1999, 1 जुलाई, 2002 तथा 26 सितम्बर, 2003 की अधिसूचनाओं से संशोधित किये गये जो भारत के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4 में क्रमशः 29 मई, 1999, 2 जुलाई, 2002 तथा 30-9-2003 को प्रकाशित हुई।

**MEDICAL COUNCIL OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th October, 2003

No. MCI-26(3)/2003-Med./20958.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Regulations on Graduate Medical Education, 1997, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Graduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2003.
(2) It shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In regulations 12,—
 - (i) for sub-regulation (1) the following shall be substituted, namely :—

“(1) ATTENDANCE : 75% attendance in a subject for appearing in the examination is compulsory inclusive of attendance in non-lecture teaching, i.e. seminars, group discussions, tutorials, demonstrations, practicals, hospital (Tertiary, Secondary, Primary) posting and bed side clinics, etc.
 - (ii) in sub-regulation (2), for clause (v), the following shall be substituted, namely :—

“(v) student must secure atleast 35% marks of the total marks fixed for internal assessment in a particular subject in order to be eligible to appear in final university examination of that subject.”

Lt. Col. Dr. A.R.N. SETALVAD (Retd.), Secy.

[ADVT III/IV/Exty./100/03]

Footnote :—The Principal regulations, namely, “Regulation on Graduate Medical Education 1997” was published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on 17th May, 1997 and amended vide MCI notifications dated 10th May, 1999 and 1st July, 2002 and 26-9-2003 published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on 29th May, 1999, 2nd July, 2002 and 30th September, 2003 respectively.